

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 833/2015..... जिला..... जोधपुर.....

उनवान— मैसर्स रजत ट्रेडिंग कम्पनी मंडोर मण्डी, जोधपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त-आ, जोधपुर

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>09.03.2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदन लाल-सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जे.एल.राठी का प्रार्थना पत्र प्राप्त तथा विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत अपील को विद्वा करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विद्वाल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय प्रसारित किया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (मदन लाल) सदस्य</p>	